


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::- कार्यालय आदेश:-

इस कार्यालय के द्वारा निम्नांकित कार्मिक का स्थाईकरण/अवैतनिक अवकाश स्वीकृति आदेश जारी किया गया था। निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 05 के अनुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र. स.	नाम व्याख्याता पदस्थापन	व्या. विषय	आदेश दिनांक	संशोधन
1	नेहा चौधरी राबाउमावि नादौली, करौली	संस्कृत	18.10.2019	स्थाईकरण आदेश में इनकी स्थाईकरण तिथि 25.08.2019 के स्थान पर 25.08.2019 पढी जावे एवं इनके अवैतनिक अवकाश स्वीकृति आदेश दिनांक 18.10.2019 में व्याख्याता विषय अंग्रेजी के स्थान पर संस्कृत पढा जावे।
2	सरोज कुमावत पाटोली, तह0 महवा, दौसा	अंग्रेजी	09.09.2019	इनकी कार्यग्रहण तिथि 15.06.2017 के स्थान पर 15.06.2017 मध्यान्ह पश्चात एवं स्थाईकरण तिथि 15.06.2019 के स्थान पर 16.06.2019 पढी जावे।
3	सुरेश कुमार मीना बारीगामा, बांसवाड़ा	संस्कृत	21.08.2019	इनका नाम सुरेश कुमार मीना के स्थान पर सुरेश कुमार मीना पढा जावे।


शेष आदेश मूल आदेश अनुसार यथावत रहेगा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/संस्कृत/स्थाईकरण-पीएससी 15/2019-20/93 दिनांक:- 22/10/2019

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
3. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि/राबाउमावि
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर